>

Regarding Sansad Adarsh Gram Yojana.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना की बात करना चाहती हूं कि सत्ता पक्ष ने इस बार नई योजना में प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना को शुरू करवाया, जिसमें हर जिले में तीन पंचायतों को सांसद को गोद लेना था, जिसके तहत उन गांव में कोई फंड तो रिलीज नहीं किया गया, लेकिन हम लोगों को वहां पर अच्छी तरह से काम कराना था। पहला सवाल यह था कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक सांसद के लोक सभा क्षेत्र में कम से कम 200, 250 पंचायतें आती हैं। उसके बावजूद हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी थी कि किस पंचायत को लिया जाए और किसे न लिया जाए, उसके बावजूद हम लोगों ने पंचायतों का चयन किया। आज दो साल हो रहे हैं, हम लोगों ने एक पंचायत का चयन किया था। लेकिन वहां हम लोगों के साथ जिला पदाधिकारी,एसडीएम और डीएम आदि ने मीटिंग की, लेकिन एक भी काम वहां जमीन पर नहीं उतारा जा सका।

दूसरा सवाल यह है कि जब हम लोग जिला पदाधिकारी से कहते हैं कि दो पंचायतें और लेनी हैं तो उनका स्पष्ट कहना है कि मैडम एक पंचायत में काम पूरा नहीं हुआ है तो दो पंचायतें लेकर आप क्या करेंगे। हर सांसद के लिए योजना आपकी है, लेकिन सिरदर्दी सांसद के कोटे में चली गई है। हम लोगों को यह नहीं समझा पाते कि यह सैंटर की योजना है, इसमें फंड कुछ नहीं है। उन लोगों को लगता है कि अगर सांसद ने पंचायत को गोद लिया है तो उन्हे स्पेशल काम करना है।

मैं आपके माध्यम से सदन में सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि मेरी नॉलिज में बिहार में किसी भी पंचायत में कोई काम नहीं हुआ, जिन्हें हम लोगों ने गोद लिया है। क्या पूरे देश के अन्य प्रदेशों में भी यही हाल है? क्या कहीं पर पंचायतों में काम हुआ है? अगर हुआ है तो कहां-कहां हुआ है, क्या काम हुआ है। अगर कहीं नहीं हुआ है तो क्या इसकी दोबारा समीक्षा होगी। क्योंकि इस बार बजट में भी प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम सड़क योजना की कोई चर्चा भी नहीं की गई। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रथम इसकी समीक्षा हो और इसे अलग से स्पेशल फंड दिया जाए, अन्यथा इस योजना को बंद कर दिया जाए, ताकि प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम सड़क योजना जो सांसदों की सिरदर्दी बन चुकी है, उससे उन लोगों को छुटकारा मिले। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री मौहम्मद फैजल, श्री आर. धुवनारायण, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री दुष्यंत चौटाला, श्री राजीव सातव को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।